

राजस्थान-सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक : प.2(31)वित्त/कर/2011/

दिनांक: 15.6.11

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान-अजमेर।

विषय :- राज्य अधिसूचना क्रमांक प.12(25)वित्त/कर/11-152 दिनांक 09.03.11 के सम्बन्ध में मार्गदर्शन बाबत।
प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक प.7(39)जन/11/12126 दिनांक 29.4.11

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि स्टाम्प ड्यूटी पर Surcharge की गणना अधिसूचना में अंकित अभिव्यक्ति "stamp duty payable" के आधार पर की जावेगी, जो वर्तमान में रियायती दर पर भुगतान की जा रही है। अतः गणना रियायती दर के अनुसार ही की जावेगी।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,


Sd/-

(डॉ० रविकुमार एस.)
शासन उप सचिव

क्रमांक: एफ-7(39)जन/11/13962-1444 दिनांक: 29-6-2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
10. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि वित्त विभाग के उपरोक्त पत्र के सन्दर्भानुसार अधिसूचना दिनांक 09.03.11 के द्वारा स्टाम्प शुल्क पर लगाये गये अधिभार की गणना वित्त विभाग के उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करें।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. ए.सी.पी, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
16. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।


अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर